

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

सं. एफ. 13(2) न्याय/2016

जयपुर, दिनांक : 29.08.2016

अधिसूचना

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) की धारा 66 के साथ पठित धारा 73 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान न्यायालय फीस (ई-संदाय) नियम, 2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायालय फीस (ई-संदाय) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) "अधिनियम" से राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) अभिप्रेत है;
- (ii) "फीस" से अधिनियम के अधीन संदेय फीस अभिप्रेत है;
- (iii) "इलैक्ट्रॉनिक रीति" से इलैक्ट्रॉनिक साधनों या उपकरणों की सहायता से संदाय की कोई रीति अभिप्रेत है और इसमें आनलाइन बैंकिंग, ई-रटांपिंग, ई-ग्रास, इत्यादि सम्मिलित हैं।

3. फीस का ई-संदाय.- इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस किसी प्राधिकृत इलैक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से भी संदत्त की जा सकेगी।

राज्यपाल के आदेश से

29/08/16

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय केन्द्रीय विधि मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त सचिव, न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. आयुक्त कम एवं शासन सचिव, उद्योग एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
11. महानिदेशक, आरक्षी/जेल राजस्थान जयपुर।
12. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० कैलाश चन्द्र अट्वासिया)
संयुक्त शासन सचिव